

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/कोटा/277

दिनांक 23/08/23

//आदेश//

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री जय सिंह, लैब टैक्नीशियन, एलटी नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर,कोटा	17.12.2012	17.12.2021 09 वर्ष	एल-08	एल-10
2.	श्री नितिश शर्मा, एलटी नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर,कोटा	04.12.2012	04.12.2021 09 वर्ष	एल-08	एल-10
3.	श्री कुलदीप सिंह डोडिया, एलटी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाडपुरा, कोटा	11.07.2013	11.07.2022 09 वर्ष	एल-08	एल-10

कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक 23/08/23

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/कोटा/277

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को अपलोड वास्ते।
5. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर
Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval

Designation: Director

Date :23-08-2023 11:42:08